# रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/अका./2021/5923 जबलपुर, दिनांक :10/06/2021

## अधिसूचना

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 27/05/2021 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय से संम्बद्ध समस्त ऐसे शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय जिन्होंने निरीक्षण नहीं कराया है वे अपने महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थाई सम्बद्धता/निरन्तरता सत्र 2021–2022 के लिए अधोलिखित बिन्दुओं की जानकारी शपथपत्र (पॉच सौ रूपये) में भरकर महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु गठित समिति के संयोजक के पास जमा करेंगें एवं संयोजक उसका परीक्षण कर विश्वविद्यालय प्रशासन को अविलम्ब प्रस्तुत करेंगें । जिससे की समस्त शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 की अस्थाई सम्बद्धता/निरन्तरता प्रमाण पत्र जारी किया जा सके एवं महाविद्यालय सत्र 2021–2022 की ई–प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सके, साथ ही ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने निरीक्षण नही कराया है वे महाविद्यालय हेतु गठित निरीक्षण समिति से अपने महाविद्यालय का निरीक्षण ऑनलाईन के माध्यम से अविलम्ब करावें। ताकि निरीक्षण समिति के संयोजक के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जा सकें। यथाः–

01 महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों की जानकारी

02 संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों की मध्यप्रदेश शासन, एन0सी0टी0ई0,ए0आई0सी0टी0ई0 एवं बार कौंसिल आफ इण्डिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र

03 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत् प्राचार्य/शिक्षकों की जानकारी जिनकी नियुक्ति कोड 28 के तहत् की गई है या विचाराधीन है एवं शिक्षकों को देय मासिक वेतन की जानकारी एवं शासी निकाय की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त की छायाप्रति के साथ बैठक का छायाचित्र भी प्रस्तुत करें ।

04 महाविद्यालय में उपलब्ध उपकरणों की जानकारी
(कम्प्यूटर्स, प्रिंटर्स, पुस्तकों की संख्या, प्रयोगशाला, फर्नीचर, कक्षाओं की संख्या, जर्नल्स, स्टाफ रूम इत्यादि )

05 खेलकूद का मैदान एवं महाविद्यालय की अन्य जानकारियॉ

06 अध्ययनरत छात्र/छात्रों की संख्या।

07 महाविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की वार्षिक सम्बद्धता/निरन्तरता शुल्क सत्र 2021–2022 की जानकारी एवं गत सत्र 2020–2021 का अस्थाई सम्बद्धता/निरन्तरता प्रमाण–पत्र

उपरोक्त दी गई समस्त जानकारियों का विवरण महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा कोविड–19 की सामान्य स्थिति होने पर किया जावेगा। यदि दी गई जानकारी एवं निरीक्षण के दौरान निरीक्षण समिति को भिन्नता दिखती है तो संबंधित महाविद्यालय के उपर सम्पूर्ण जवाबदेही मानी जावेगी। और उस महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा ।

नोट :– उपरोक्त समस्त कार्यवाही महाविद्यालय एवं संयोजक **<u>07 दिवस के अन्दर पूर्ण कर</u>** विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत करायें । जिन महाविद्यालयों की जानकारी अप्राप्त होगी उनको ई–प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा ।

प्रभारी कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।

पृ0 क्रमांक/अका./2021 /5323 "अ" जबलपुर, दिनांक :10/06/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थः –

01. आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
02. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर ।
03. प्रभारी, आई0क्यू0ए0सी0 प्रकोष्ठ, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर ।
04. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर ।
05 कुलपति जी के निज सहायक, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर ।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।